न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 88 / 2023

1 बृजमोहन पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 जगदीश पुत्र गीलू
2 रामस्वरूप पुत्र गीलू
3 सुगनी पत्नी गीलू
4 जयपाल पुत्र नाराणाराम
5 बनवारी पुत्र नाराणाराम
6 मोतीलाल पुत्र नाराणाराम
समस्त जाति कुम्हार निवासीगण महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
7 अनिता देवी पुत्री इन्द्रराम जाति जांगिड़ निवासी लादुसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
8 अनिल कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
9 कलावती देवी पुत्री इन्द्रराम पत्नी चौथूराम जाति जांगिड़ निवासी पीपल का बास तन मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
10 ताराचन्द पुत्र कालुराम
11 दयानन्द पुत्र चिमनाराम
12 नारायणी पत्नी कालुराम
समस्त जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
13 नीलम पुत्री गुलाबचन्द पत्नी अनिल जाति जांगिड़ निवासी खीदरसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
14 प्रेम दवी पत्नी गुलाबचंद जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

15 परमेश्वरी देवी पुत्री इन्द्रराम पत्नी सतु जांगिड़ निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

16 बाबुलाल पुत्र कालुराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

17 बिमला पुत्री कालुराम पत्नी मूलचन्द जाति जांगिड़ निवासी लादुसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

18 मदनलाल पुत्र कालुराम

19 महावीर प्रसाद पुत्र इन्द्रराम

समस्त जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

20 मीरा देवी पुत्री इन्द्राराम पत्नी निवास जाति जांगिड़ निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

21 श्रीचन्द पुत्र चिमनाराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

22 सज्जना देवी पुत्री इन्द्रराम पत्नी लालचंद जाति जांगिड़ निवासी कमालसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

23 सत्यपाल पुत्र इन्द्रराम

24 सुधीर पुत्र नागर

समस्त जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

25 सन्तरा पुत्री कालुराम पत्नी बलबीर जाति जांगिड़ निवासी लादुसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

26 सुनिल कुमार पुत्र गुलाबचंद जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

27 सुभाष पुत्र नागर

28 सुशील पुत्र नागर

29 सहदेव पुत्र नागर

समस्त जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

30 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक

31 झुन्झुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं शाखा प्रबंधक।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
...अधिकारी

3

32 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 आरटीएक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज. मुकदमा उनवनी बृजमोहन
बनाम जगदीश वगै. प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आरटीएक्ट
1955 मु.नं. 96/2021 निर्णय दिनांक 29.08.2023

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 28/11/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 29, 30, 40/246, 40 वाके ग्राम हरिपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। निर्णय स्पींकिग नहीं है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अपूर्ण व अस्पष्ट तथा एकपक्षीय है। अपीलान्ट ने आराजी हाल खसरा नम्बर 39, 40 व 40/246 सरहद मौजा मेहरादास में से रास्ता क्लेम किया। उक्त खसरा नम्बर 39 के पूर्व में खेत खसरा नम्बर 30 सरहद मौजा हरिपुरा जो अपीलान्ट की खातेदारी का स्थित है। खसरा नम्बर 39, 40 व 40/246 के पश्चिम दिशा में सटकर ग्राम महरादास की आबादी है ओर ग्राम महरादास की आबादी से दक्षिण दिशा में अपीलान्ट का गांव हरिपुरा स्थित है। अपीलान्ट अपने ग्राम से खेत खसरा नम्बर 30 में खेत खसरा नम्बर 40/246, 40, 39 सरहद मौजा महरादास में से आता जाता रहा है। अपीलान्ट की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 30 के पश्चिम दिशा में ग्राम महरादास की सीमा है और अपीलान्ट का खेत नम्बर 30 ग्राम हरिपुरा की सरहद में स्थित है। खेत खसरा नम्बर 40/246 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व खसरा नम्बर 40 रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 6 की खातेदारी का है। खेत खसरा नम्बर 39 के खातेदारान ने अर्थात रेस्पोडेन्ट सं. 7 लगायत 29 ने अपीलान्ट की प्लींडिग का कोई खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय से मौजुदा रास्ते को उक्त ग्राम महरादास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 39, 40, 40/246 में 12 फीट चौड़ा कायम करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहा। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति को नजर अंदाज कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के लिये वैकल्पिक रास्ता माना है जबकि इस तरफ गौर नहीं किया कि अपीलान्ट खेत खसरा नम्बर 30 में मौजुद कटानी रास्ता में अपने ग्राम हरिपुरा से प्रवेश कहा से करेगा। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 30 में मौजुद कटानी रास्ता आगे पूर्व दिशा में ग्राम घासी का बास को जाता है और उक्त रास्ता का खेत खसरा नम्बर 30, 31, 33, 34, 26, 25, 332/134, 330/134, 133, 130, 128, 126, 119, 120 ग्राम हरिपुरा के खातेदारान ने उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से आदेश कमांक/राजस्व/1253 दिनांक 30.11.2021 को गैर मुमकिन रासता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का आदेश पारित करवाया था। उपरोक्त कटानी रास्ते से अपीलान्ट का अपने खेत खसरा नम्बर 30 में

अनिल कुमार II RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

आवागमन नहीं है और ना ही रहा है। वास्तविक रूप से आवागमन खसरा नम्बर 39, 40 व 40/246 सरहद मौजा महरादास से रहा है। अपीलान्ट के खेत में मौजुद कटानी रास्ता वैकल्पिक रास्ते के रूप में होता तो यह राजस्व रिकार्ड में खेत खसरा नम्बर 30 की पूर्वी सीमा तक ही कायम होता और पश्चिमी सीमा तक कायम नहीं किया जाता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने गलत आधार दर्ज कर मनमर्जी से निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्ट मंजुर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2023 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का आवेदन पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 39, 40, 40/246 में बिन्दु ए, बी स्थान के मध्य 12 फिट रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ने अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में पूर्व से रास्ता मौजुदा होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं बताया है। नक्शा ट्रेस में भी आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 30 मे कटानी रास्ता दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है वहां खातेदार के निवेदन पर नया रास्ता कायम किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक की खातेदारी में पूर्व से रास्ता कटानी दर्ज रिकार्ड हैं इसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण धारा 251 ए की परिधि में नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 29, 30, 40/246, 40 वाके ग्राम हरिपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक ने अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में पूर्व से रास्ता मौजुदा होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं बताया है। नक्शा ट्रेस में भी आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 30 मे कटानी रास्ता दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है वहां खातेदार के निवेदन पर नया रास्ता कायम किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक की खातेदारी में पूर्व से रास्ता कटानी दर्ज रिकार्ड हैं इसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण धारा 251 ए की परिधि में नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर